न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

(अ) प्रा0 पत्र सं0 40 / 2008

1. नानगा पुत्र धन्या
2. श्रवण पुत्र मंगला
3. नाथू पुत्र जौहरीलाल
4. सोनी बेवा भौरल लाल समस्त जाति बैरवा निवासी श्यालावास तहसील दौसा जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. रामफूल पुत्र ओंकार
2. श्री किशन पुत्र ओंकार जाति मीना निवासी श्यालावास तहसील दौसा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा
4. आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति– श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष

दिनांक: 09.10.2017

निर्णय

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.05.89 को **ग्राम श्यालावास** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1950 रकबा 0.25 है, 1951 रकबा 0.21 है0, 1968 रकबा 0.54 है0 कुल 1.00 है भूमि का आवंटन अप्रार्थी नंबर 01 व 02 को किया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.05.89 को **ग्राम श्यालावास** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1950 रकबा 0.25 है, 1951 रकबा 0.21 है0, 1968 रकबा 0.54 है0,का आवंटन अप्रार्थी नंबर 01 व 02 को कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत किया गया है, आवंटन रूल्स 05 से 12 की सरासर अवहेलना करके किया गया है, आवंटन बाबत ना तो कोई उदघोषणा जारी की गई है ना ही उदघोषणा की कोई तामिल कराई गई, ना ही कोई जांच की गई है, अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने ना तो कोई विधिवत फार्म भरा है ना ही फार्म की कोई जांच की गई है ना ही फार्म दर्ज किया गया है ना ही फार्म में कालम नम्बर 02 की पूर्ति की गई, भूमि

वरवक्त आवंटन वैकेट लैण्ड भूमि नही थी तथा आवंटन योग्य भूमि नही थी अप्रार्थी नम्ब 01 व 02 आवंटन के पात्र भी नही थे किन्तु फिर भी उक्त भूमि का अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 को आवंटन करके कानूनी गलती की है, भूमि का आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। आज भी मौके पर प्रार्थीगण काबिज है काननन अलोटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आधे रकबे पर व द्वितीय वर्ष में पूरे रकबे पर काश्त करना जरूरी होता है। जो भी आवंटी नही की गई है, प्रार्थीगण को उक्त आवंटन की कतई जानकारी नही थी प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है। दिनांक 15.08.2001 को प्रार्थी नानगा अपनी भूमि में खडी काश्त की रखवाली कर रहा था। तो अप्रार्थी नंबर 01 व 02 ने धमकी दी कि उक्त भूमि तो हमें आवंटनसुदा है हमारे नाम गैर खातेदारी हो रही है इसलिए इस भूमि से तुम्हे बेदखल करेगे तब पटवारी हल्का से तुम्हें बेदखल करायेगें। तब पटवारी हल्का से जानकारी करके उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद पेश किया जाकर निवेदन है कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन खारिज किया जावें।

अप्रार्थी उपस्थित उपस्थित नहीं है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जॉच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.05. 1989 को **ग्राम श्यालावास** तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1950 रकबा 0.25 है, 1951 रकबा 0.21 है0, 1968 रकबा 0.54 है0 कुल 1.00 है भूमि का आवंटन अप्रार्थी नंबर 01 व 02 को किया गया। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि की शर्तो की पालना नहीं की गई। क्योंकि मौके पर आज भी भूमि खाली (पडत) पडी हुई है तथा अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। जबकि आवंटन हुए लगभग 28 वर्ष बाद भी गैरखातेदारी दर्ज है। इससे स्पष्ट होता कि आवण्टित भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और आवण्टित भूमि की काश्त में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे आवण्टित भूमि के प्रयोजन ही समाप्त हो जाते है। अप्रार्थी बावजूद तामिल उपस्थित ही नहीं हुए। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आवण्टन खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार कर किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 29.05.89 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 09 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा